


**HIGH COURT OF MADHYA PRADESH : JABALPUR**

Endt.No B/1695 (JJB)/ Jabalpur, dated 28/03/2021  
III-6-4/72-XI

The copy of notification no. 784 / 846/ 2021/ 50-2 dated 05-03-2021 regarding increase in frequency of sitting of Juvenile Justice Board Ratlam issued by the State Government, Department of Women & Child Development, Bhopal is forwarded to :-

- 1- The Principal Secretary, Law & Legislative Affairs Department, Bhopal for information.
- 2- The District and Sessions Judge, .....
- 3- The District Judge (Inspection & Vigilance), Jabalpur, Indore, Gwalior
- 4- Shri/Smt.....CJM/JMFC & Principal Magistrate of District.....
- 5- The Principal Registrar, Bench at Indore/Gwalior High Court of M.P., Jabalpur.
- 6- Registrar (J.)/(D.E.)/(A.)/(Vig.)/(Vl.)/(A.W.), High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur.
- 7- P.S. to Hon'ble the Chief Justice ,High Court of Madhya Pradesh Jabalpur for placing the matter before His Lordships,
- 8- P.S. to Registrar General/ Principal Registrar(Judl)/ Principal Registrar (Inspection & Vigilance),/ Principal Registrar (Examination & ILR)/OSD High Court of Madhya Pradesh Jabalpur,
- 9- P.A. to Director/Additional Director/JOTRI, High Court of Madhya Pradesh Jabalpur,
- 10- Joint Registrar /Confidential/S.O. Checker High Court of Madhya Pradesh Jabalpur,
- 11- Computer Operator, Confidential Section , High Court of Madhya Pradesh Jabalpur,
- 12- Server Room (Computer) for making available in the official website of the High Court under the hyperlink circular/orders etc. in compliance of the orders of Registrar General dated 01-03-2018 & endt No. Reg(IT)/SA/2018/368 dated 01-03-2018.

  
(R.P.S. CHUNDAWAT)  
REGISTRAR (DE)

मध्यप्रदेश शासन  
महिला एवं बाल विकास विभाग  
मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल  
-----आदेश-----

भोपाल, दिनांक 05/3/2021  
102/2021

क्रमांक 784 /846/2021/50-2 : किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2016 के नियम 6 (7) में किशोर न्याय बोर्ड के कार्य दिवसों के बारे में प्रावधानित है कि "बोर्ड सभी कार्यदिवसों पर मजिस्ट्रेट न्यायालय के कार्य-समय के अनुरूप न्यूनतम छह घंटे अपनी बैठकें आयोजित करेगा, जब तक कि जिला विशेष में लंबित मामलों की संख्या कम न हो और राज्य सरकार ने इस संबंध में कोई आदेश जारी न किया हो या राज्य सरकार ने जिले में लंबित मामलों की संख्या, क्षेत्र या भूभाग, जनसंख्या घनत्व या अन्य किसी कारक पर विधिवत विचार करने के बाद राजपत्र में अधिसूचना द्वारा जिले में एक से अधिक बोर्डों का गठन न किया हो"।

2/ माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के जापन क्र. D/436/III-6-4/72-IX दिनांक 02/02/2021 अनुसार किशोर न्याय बोर्ड जिला रतलाम में कार्यदिवसों की संख्या निर्धारित कर आदेश जारी किये जाने हेतु लेख किया गया है।

3/ अतः राज्य शासन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्देशानुसार निम्न तालिका के कॉलम क्रमांक 02 में उल्लेखित जिले के किशोर न्याय बोर्ड हेतु कॉलम क्रमांक 3 में उल्लेखित कार्य दिवस निर्धारित करता है:-

क्रमांक	किशोर न्याय बोर्ड	बोर्ड की बैठक हेतु निर्धारित कार्य दिवस
1	2	3
1.	रतलाम	सप्ताह के सभी कार्यदिवस

(जगदीश चन्द्र जटिया)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन  
महिला एवं बाल विकास विभाग



पृ०/क्रमांक 785 /846/2021/50-2

भोपाल, दिनांक

05/3/2021

~~10/2/2021~~

प्रतिलिपि:-

01. रजिस्ट्रार, (DE) माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर, मध्यप्रदेश।
  02. रजिस्ट्रार, किशोर न्याय समिति, माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर, मध्यप्रदेश।
  03. प्रमुख सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मध्यप्रदेश।
  04. संचालक, महिला एवं बाल विकास, संचालनालय, भोपाल।
  05. संभागीय आयुक्त संभाग उज्जैन, मध्यप्रदेश।
  06. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश।
  07. कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश।
  08. प्रधान न्यायाधीश, किशोर न्याय बोर्ड, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश।
  09. संभागीय संयुक्त संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग, संभाग उज्जैन।
  10. जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला बाल संरक्षण अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला रतलाम।
  11. अनुभाग अधिकारी-2/गार्ड फाइल।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

महिला एवं बाल विकास विभाग

07/13

